कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 108/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न **कार्यवाहियां की गयी।**

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान के साथ गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.06.2025 को वादिनी रीता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कबीरूद्दीनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 21.01.2026 को उनके घर से पीतल के बर्तन चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 23.01.2026 को वादी लालजी पुत्र मोहन निवासी तेजापुर थाना अतरौलिया द्वारा थाने पर आकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके घर में घुसकर नगदी व जेवरात चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/26 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 19.03.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 01. दिलफरोश उर्फ डम्पी पुत्र कमरुद्दीन, निवासी ग्राम गौरा रघुवर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ 02. उमेश पुत्र पथरू निवासी ग्राम गौरा रघुवर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को भैहरादेव मंदिर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2730/- रुपये नगद एवं एक थैले में रखे 02 अदद पीतल की थाली व 02 अदद पीतल के लोटा बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने रीता देवी के घर में टाइल्स लगाने के दौरान मौका पाकर बर्तन चोरी किये थे तथा दिनांक 22/23.01.2026 की रात्रि में ग्राम तेजापुर में दो अलग-अलग मकानों में घुसकर नगदी चोरी की थी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 110/26 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 29/26 धारा 331(4), 305(a), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. दिलफरोश उर्फ डम्पी पुत्र कमरुद्दीन, निवासी ग्राम गौरा रघुवर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।
2. उमेश पुत्र पथरू, निवासी ग्राम गौरा रघुवर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष।

बरामदगी:-

01. दो अदद पीतल की थाली
02. दो अदद पीतल के लोटे
03. कुल 2730/- रुपये (अलग-अलग अभियुक्तों से बरामद)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 देवीशंकर पाण्डेय,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
03. हे0का0 सन्त कुमार,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
04. का0 रमेश कुमार,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक: 20.03.2026

साइबर फ्रॉड के 52,025/- रुपये आवेदिका के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

शिकायतकर्ता कुसुम यादव पत्नी पंकज सिंह यादव निवासी सुरिश थाना शाहगंज जनपद जौनपुर (हाल पता– मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़) के साथ दिनांक 05.07.2025 को अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा उनके रिश्तेदार के विदेश में फंसे होने का झांसा देकर ₹80,000/- की ठगी कर ली गई। पीड़िता द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन **1930** एवं ऑनलाइन पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराई गई।

रुपये वापसी का विवरण:-

साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को ट्रेस कर ₹80,000/- में से ₹52,025/- रुपये आरोपियों के खातों में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात मा0 न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए होल्ड कराई गई धनराशि ₹52,025/- पीड़िता के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

साइबर अपराध का तरीका (Modus Operandi):-

इस प्रकार के अपराध में ठग—

- रिश्तेदार/परिचित बनकर कॉल या मैसेज करते हैं
- “विदेश में फंसे हैं”, “आपात स्थिति है” जैसे भावनात्मक बहाने बनाते हैं
- तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं
- फर्जी बैंक खाता/UPI आईडी उपलब्ध कराकर धनराशि ठग लेते हैं

साइबर अपराध से बचाव के उपाय:-

- किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें
- पैसे भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क कर सत्यापन अवश्य करें
- OTP, बैंक डिटेल, UPI PIN किसी से साझा न करें
- संदिग्ध लिंक, ऐप या QR कोड स्कैन करने से बचें
- साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत **1930** पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें
- जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, धनराशि वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी

साइबर पुलिस टीम:-

- उ0नि0 दयानन्द
- का0 दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा
- म0का0 पूजा पाण्डेय

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 05.03.2026 की रात्रि में वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त मंजीत पाण्डेय पुत्र दिनेश पाण्डेय निवासी ग्राम लखमी रोहुवार (पाण्डेय का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर दिनांक 07.03.2026 को मु0अ0सं0 50/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त मंजीत पाण्डेय पुत्र दिनेश पाण्डेय निवासी ग्राम लखमी रोहुवार (पाण्डेय का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 19.03.2026 को उ0नि0 विवेक सिंह मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मंजीत पाण्डेय पुत्र दिनेश पाण्डेय निवासी ग्राम लखमी रोहुवार (पाण्डेय का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष को लालघाट पुलिया के पास से समय करीब 22:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 50/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. मंजीत पाण्डेय पुत्र दिनेश पाण्डेय निवासी ग्राम लखमी रोहुवार (पाण्डेय का पूरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 विवेक सिंह, का0 दिलीप कुमार म0का0 रागिनी सिंह थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को 2400/- रुपये वापस कराए गए

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आवेदक विपुल कुमार सिंह पुत्र यशवंत सिंह निवासी पुरा ठकुराई समेंदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनका मोबाइल हैक होने के कारण उनके बैंक खाते से ₹2400/- रुपये की अवैध निकासी हो गई।

➡ इस संबंध में आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत संख्या 3310326005 दर्ज कराई गई, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरण:-

प्राप्त शिकायत पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी सहायता से कार्यवाही की गई। प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते से निकाली गई ₹2400/- की धनराशि नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

जनजागरूकता संदेश (Cyber Awareness):-आजमगढ़ पुलिस जनपदवासियों से अपील करती है कि—

01. किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें
02. OTP, बैंक डिटेल, पासवर्ड आदि किसी से साझा न करें
03. संदिग्ध लिंक/एप डाउनलोड करने से बचें
04. साइबर ठगी होने पर तुरंत **1930** पर कॉल करें
05. या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें
06. नजदीकी थाना/साइबर हेल्प डेस्क से तुरंत संपर्क करें।

पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 विधनेश वर्मा उ0नि0 नितीश सिंह म0का0 रीना यादव थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट. दिनांक: 20.03.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत स्थित सलमानी हॉस्पिटल में हुए मारपीट के प्रकरण से संबंधित अभियुक्त अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

अवगत कराना है कि वादी सूरज मौर्या पुत्र कमलेश मौर्या निवासी ग्राम बनकट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, जो सलमानी टीचिंग अस्पताल आजमगढ़ में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं, द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 19.03.2026 को समय लगभग 03:30 बजे अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनसे विवाद कर पिस्टल तान दी गई तथा छीनाझपटी के दौरान गला दबाकर मारपीट की गई। मौके पर अफरा-तफरी के बीच अभियुक्त फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्वेक्षण में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 20.03.2026 को समय 13:10 बजे अभियुक्त गुफरान पुत्र इलियास अहमद निवासी मनचोभा पोस्ट ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 38 वर्ष को उकरौड़ा से सिक्स लेन जाने वाले मार्ग के बीच से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त गुफरान पुत्र इलियास अहमद निवासी मनचोभा पोस्ट ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

01 अदद अवैध पिस्टल

02 अदद जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम गुफरान पुत्र इलियास अहमद निवासी मनचोभा पोस्ट ककरहटा थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:

मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

01.उ0नि0 रामकिशोर शर्मा थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

02. का0 आकाश पाण्डेय थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

03. का0 आनन्द कुमार थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

04. का0 सुमित कुमार थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस की अपील:जनपदवासियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे समय रहते प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

प्रेस नोट

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक: 20.03.2026

अपहरण के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.03.2026 को वादी द्वारा थाना महराजगंज पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 49/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त विकास यादव निवासी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कटान बाजार क्षेत्र से वांछित अभियुक्त विकास यादव को समय लगभग 11:55 बजे गिरफ्तार किया गया। साथ ही अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विकास यादव पुत्र रामपलट यादव निवासी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।

बरामदगी:-

अपहृत नाबालिग पीड़िता सकुशल बरामद

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में घटना के संबंध में जुर्म स्वीकार किया गया तथा अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही गई।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 49/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 49/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
02. व0उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
03. का0 शिवम यादव थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
04. का0 आशुतोष दुबे थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
05. म0का0 जया द्विवेदी थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक: 20.03.2026

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

रेस्टोरेंट में बुलाकर जहरीला पदार्थ खिलाने से हुई मौत के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

अवगत कराना है कि वादी द्वारा थाना कोतवाली पर दी गई तहरीर में अवगत कराया गया कि उनकी बहन को एक युवक द्वारा पूर्व से लगातार परेशान किया जा रहा था। दिनांक 19.03.2026 को अभियुक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से एक परिचित के माध्यम से पीड़िता को शहर क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया, जहाँ उसके साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा जबरन जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे पीड़िता की स्थिति गंभीर हो गई। सूचना पर परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर उच्च चिकित्सालय रेफर किया गया। उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 112/2026 धारा 105/123 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, मिशन शक्ति 6.0 अभियान के अंतर्गत महिला अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह मय पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई।

दिनांक 20.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राहुल चौहान को प्राइवेट बस स्टैंड के पास से समय लगभग 14:54 बजे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था, किन्तु पुलिस टीम की तत्परता से उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

- राहुल चौहान पुत्र हरेन्द्र चौहान निवासी थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पीड़िता को पूर्व से जानता था। आपसी विवाद के दौरान उसके द्वारा मारपीट की गई, जिससे स्थिति बिगड़ गई और पीड़िता द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया गया। घटना के बाद अभियुक्त घबराकर मौके से फरार हो गया।

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0सं0 112/2026 धारा 105/123 बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

- उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह
- का0 सुमित कुमार थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 1,20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें दुष्कर्म व हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-**17.08.2020** को वादी मुकदमा अवध मुनि गौड़ पुत्र रामधारी निवासी पुसड़ा खालसा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त शुभम गोड़ पुत्र चन्द्रभान निवासी बनकट जगदीशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करके हत्या कर देना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-158/2020 धारा-366,376,302,201,120B भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे 11 गवाह परीक्षित हुए।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक-20.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त शुभम गौड़ पुत्र चन्द्रभान निवासी बनकट जगदीशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 1,20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**